नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.07.2021	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 के अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष अधिवक्तां की बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा धनाणी मेघवालों की ढाणी, पटवार मण्डल राजबेरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 749 रकबा 37.13 बीघा अविभाजित एवं संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है। विप्रार्थीगण सरजोर, एवं ताकतवर एवं राजनैतिक पहुंच वाले लोग होने के कारण प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर जबरन काबिज होकर प्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य फौजदारी मुकदमें भी दर्ज है। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हिस्से में नीवें खोदकर निर्माण करवाना चाहते है। उक्त वादग्रस्त आराजी के मूल वाद में वादी के बयान हो चुके है अतः प्रतिवादी साक्ष्य होने के बाद बंटवारा करके निर्माण करें। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद पक्ष प्रार्थीगण विरूद्ध विप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से एवं कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें एवं मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

इसके विपरीत विप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अंपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी उभय पक्षकारान् की पुश्तैनी भूमि है। जिसमें उभय पक्ष अपने अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करने के अधिकारी है। उन्हें अपने हक हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग से रोकने के प्रार्थीगण कतई अधिकारी नहीं है। विप्रार्थीगण के अपने हिस्से की भूमि पर पुश्तैनी पक्के मकान व रहवासी ढाणियां बनी हुई है, जिसके मरम्मत का कार्य विप्रार्थीगण द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त मरम्मत कार्य को प्रार्थीगण द्वारा जारी करवाये गये एकतरफा स्थगन आदेश से रूकवा दिया गया है। जबकि विप्रार्थीगण द्वारा कोई नवीन निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी के संदर्भ में उभय पक्षकारान को एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी किये जाने से ताफैसला वाद पाबंद किया जावें एवं विप्रार्थीगण द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि पर किये जा रहे निर्माण कार्य मकान पर छत भराई व मरम्मत कार्य करने की अनुमति प्रदान की जावें।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी उभय पक्षकारान की पुश्तैनी एवं पैतृक भूमि है। जिस पर उभय पक्षकारान का हक हिस्सा है। अतः वादग्रस्त आराजी का दौराने वाद विचारण मौका व रेकर्ड की स्थिति में बदलाव होता है तो उभय पक्ष

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

को क्षति होना संभाव्य है। किन्तु पुराने पुश्तैनी मकान, ढाणियों की मरम्मत एवं छत डलवाना व अपने हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य करने से किसी पक्ष को कोई क्षति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 749 रकबा 37.13 बीघा मौजा धनाणी मेघवालों की ढाणी, पटवार मण्डल राजबेरा, तहसील शिव की भूमि के संबंध में ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उभयपक्ष एक–दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करेंगे, किन्तु अपने हक हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य (छत डलवाना) की अनुमति रहेगी। उभय पक्ष मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner